International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 10 Issue 4, Ser. II ||April, 2021 || PP. 64-66

(Parliament)

डॉ0 राधिका देवी
असि0 प्रोफेसर(राजनीति विज्ञान)
ए0के0पी0(पी0जी0) कॉलिज, खुर्जा
जिला–बुलन्दषहर (उ0प्र0)

संसद

''भारतीय संविधान में अद्भुत ढ़ंग से अमरीका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धान्त एवं इंग्लैण्ड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त के बीच का मार्ग अपनाया गया है।''[1]

हमारे संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान–मण्डल को संसद की संज्ञा दी गयी है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धान्त के आधार पर गठित की गयी है।[2] संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है : 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगें।' भारत में संसदात्मक लोकतन्त्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धान्ततः आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है।[3]

भारतीय संसद, एक सम्प्रभु संस्था नहीं है (संसद की प्रभुसत्ता की सीमाएं)–

नारमन डी. पामर ने लिखा है, ''भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती हैं तथा महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती हैं। यद्यपि इसका कार्य भारत राज्य–क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं हैं। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करने से इसकी शक्तियां सीमित हो गयी है।''[4]

भारतीय संसद की प्रभुसत्ता पर निम्न सीमाएं हैं :

- **लिखित और कठोर संविधान अर्थात् संविधान में संशोधन हेतु विषेष प्रक्रिया–** संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है। संविधान के **अनुच्छेद 245(1)** द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 'व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है जिसके अन्तर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण अर्थात् संविधान में संशोधन के लिये विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिये संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। कठोर संविधान के कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति सीमित हो गई है।

- **संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धान्त तथा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा–** भारतीय संविधान संसद की प्रभुसत्ता प्रदान नहीं करता, वरन् यह संविधान ''संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धान्त'' पर आधारित है। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग को संशोधित, परिवर्द्धित या सीमित कर सकती हैं, किन्तु **''संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दें या नष्ट कर दें।''**

- **संघात्मक व्यवस्था–** भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। **प्रो. टी. के. टोपे** ने लिखा है कि ''**भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अन्तर्गत विधायिका है। ब्रिटिष संसद के समान इसकी शक्तियां असीमित नहीं हैं।**[5]

- **मूल अधिकार और न्यायिक पुर्नर्विलोकन की व्यवस्था–** संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये बिना मूल अधिकारों के विरूद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता।

इन सबके अतिरिक्त संसद की प्रभुसत्ता पर सबसे बड़ी सीमा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था हैं. ,जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका द्वारा जांच की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैधानिक पोषित कर सकता है। **न्यायमूर्ति बी.के. मुंकर्जी** के अनुसार, **''यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि अमुक कानून वैध है या नहीं।''**[6]

- **राजनैतिक परिसीमाएं–** राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकतीं। उसे अर्न्तराष्ट्रीय कानून का भी समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल का भी नियन्त्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है।[7]

भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हैं, लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएं हैं, इन शक्तियों की मर्यादाएं हैं और उपर्युक्त मर्यादाओं के कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान सम्प्रभु नहीं कहा जा सकता है।

भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियां –

भारतीय संसद सम्प्रभु नहीं हैं, किन्तु यह विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती है। इसकी शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता हैं :

- **व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियां–** संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकटकाल की उद्घोषणा के काल में राज्य–सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार जब राज्यसभा दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य–सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करें तो संसद कानून बना सकती है।

- **वित्तीय शक्तियां–** संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियन्त्रण प्रदान किया गया है। सभी कर सम्बन्धी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगे संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं। क्योंकि संविधान के अनुसार 'विधि के प्राधिकार' के बिना न तो कर लगाया जायेगा और न एकत्रित किया जायेगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती हैं तथा नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है।

- **कार्यपालिका शक्तियां–** भारत में संसदात्मक शासन–प्रणाली अपनायी गयी हैं अतः मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ हो सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती हैं। संसद के सदस्य **'अविश्वास के प्रस्ताव'**, **'निन्दा**

प्रस्ताव' एवं **'कामरोको प्रस्ताव'** द्वारा सरकार पर नियन्त्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाये रखते हैं। संसद के सदस्य मन्त्रियों से सरकारी नीतियों के सम्बन्ध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मन्त्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके, सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं।

- **राज्यों से सम्बन्धित शक्तियां–** संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है।

- **संविधान संषोधन से सम्बन्धित शक्तियां–** भारतीय संविधान में संसद का यह अधिकार हैं कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है।

- **निर्वाचन सम्बन्धी कार्य–** संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद की को कुछ निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की गयी हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मण्डल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार, संसद–सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।

- **महाभियोग का अधिकार–** संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है।[8]

इस प्रकार संसद की उपर्युक्त शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य विस्तृत है। संसद सार्वजनिक विवाद–स्थल का कार्य करती हैं, इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं। परन्तु यह बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अन्तर्गत ही अपनी कार्यवाहियां चलानी पड़ती हैं। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रूकावट पैदा होती है संसद संविधान में संशोधन कर सकती हैं, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दें।

❖❖❖

संदर्भ सूची :–

1- "The Indian Constitution wonderfully cuts the via media between the American System of Judicial supremacy and English principal of Parliamentary sovereignty."!
- D. D. Basu, Commentary on the Constitution of India, Vol. I, Fourti Ed. P. 30

2- **भारतीय संविधान,** अनुच्छेद 79.।

3- Palmer Norman D., The Indian Political System, London, 1961, p. 117.

4- N.D. Palmer : The Indian Political System, p. 124.

5- Tppe T.K., "The Constitution of India". P. 268.

6- Justice Mukherjee, Supreme Court Journal, 1954 p.597.

7- Pukhraj Jain, Indian Government and Politics, p. 132-133.

8- Pukhraj Jain, Indian Government and Politics, p. 132-133.